

CONSUMER EDUCATION

Understanding the concepts of Overdue, SMA, NPA and classification of loan accounts of borrowers

This document is prepared with a view to increase awareness amongst the borrowers, and for explaining the important concepts of date of overdue, SMA and NPA classification and upgradation, with specific reference to day-end process. The examples quoted are illustrative and not exhaustive in nature and relate to general scenarios and are subject to directions and clarifications issued by the RBI from time to time.

Due Date

Principal/ interest/ any charges levied on the loan account which are payable within the period stipulated or due to be paid on a certain date as per the terms of sanction or as per loan agreement contracted between the borrower and lender.

Overdue

Any amount with respect to principal/ interest/ any charges remains due on a due date to the lender and if it is not paid before the lender runs the day-end process, then that amount will be called as 'overdue'. For example, if the due date of an EMI is 31st March 2022 and the borrower didn't make the payment to the lender till lender closes its day end process on 31st March 2022. Then all amount payable under such EMI will become overdue.

Day-end process

Day-end process means the process undertaken by the lender for booking receipt of/crediting an amount into the loan accounts of a borrower, post which the account of a borrower is closed for the day.

Special Mention Account (SMA)

Prudential framework for resolution on stressed assets requires lenders to recognize incipient stress in the borrower's account, immediately on default, by classifying them as SMA.

SMA Sub-Categories	Amount overdue for days
SMA-0	Up to 30 days
SMA-1	31-60 days
SMA-2	60-90 days

SMA classification will be done upon running day-end process according to number of days overdue as explained above in illustration.

For example, if the due date of the EMI is 31st March 2022 and the borrower didn't make the payment to the lender, when the day-end process of the lender is closed on 31st March 2022, the account would be classified as SMA-0. If account continues to remain overdue and all dues are not regularized by 30th April 2022, then account gets tagged as SMA-1 as on 30th April 2022 i.e., upon completion of 30 days of being continuously overdue. If the account continues to remain overdue, account gets tagged as SMA-2 as of 30th May 2022, and if continues to remain overdue further, accounts get classified as NPA at day end on 29th June 2022.



Non-Performing Asset (NPA)

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where interest and / or instalment of principal remains overdue after closure of day end process on 90th day from the due date.

Upgradation of Accounts Classified as NPAs

Loan accounts classified as NPAs may be upgraded as 'standard' asset only if entire arrears of interest and principal are paid by the borrower.

In case of borrowers having more than one credit facility from a lending institution, loan accounts shall be upgraded from NPA to standard asset category only upon repayment of entire arrears of interest and principal pertaining to all the credit facilities.

Illustration

Particulars	Date (full dues not received on due date)
Due Date	31st March 2022
Day End Process	31st March 2022
Overdue Date	31st March 2022
SMA-0 (1 to 30 days)	31st March 2022 to till 29th April 2022
SMA-1 (31 to 60 days)	30 th April 2022 to till 29 th May 2022
SMA-2 (61 to 90 days)	30 th May 2022 to till 29 th June 2022
NPA (> 90 days)	30 th June 2022

Explanation

- 1. If the due date is 31st March 2022, and the instalment is not received in full before the day-end process is run, the date of overdue shall be 31st March 2022.
- 2. If the account continues to remain overdue, it shall get tagged as **SMA-0**, **SMA-1** and **SMA-2** upon running day-end process according to number of days overdue as explained above in illustration
- 3. If the account continues to remain overdue for more than 90 days, it shall get classified as **NPA** upon running day-end process on 90th day i.e., 30th June 2022 as explained above in illustration.
- 4. The loan account shall remain in NPA status till all unpaid instalments are repaid along with other charges/arrears and upon payment of full arrears of interest and principal along with other charges / arrears, the status of account will be changed from NPA to Standard.

Reference

RBI Circular (RBI/2021-2022/125 DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22) dated 12th November 2021 on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances – Clarifications



उपभोक्ता शिक्षा

अतिदेय, एसएमए, एनपीए और उधारकर्ताओं के ऋण खातों के वर्गीकरण की अवधारणाओं को समझना

यह दस्तावेज़ उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और अतिदेय तिथि, एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझाने के लिए, दिन के अंत की प्रक्रिया के विशिष्ट संदर्भ के साथ तैयार किया गया है। उद्धृत उदाहरण उदाहरणात्मक हैं और प्रकृति में संपूर्ण नहीं हैं और सामान्य परिदृश्यों से संबंधित हैं और समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों और स्पष्टीकरणों के अधीन हैं।

नियत तारीख

ऋण खाते पर लगाया गया मूलधन/ब्याज/कोई भी शुल्क जो निर्धारित अवधि के भीतर देय हो या किसी निश्चित तिथि को मंजूरी की शर्तों के अनुसार या उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच अनुबंधित ऋण समझौते के अनुसार भुगतान किया जाना हो।

अतिदेय

मूलधन/ब्याज/किसी भी शुल्क के संबंध में कोई भी राशि ऋणदाता को देय तिथि पर देय रहती है और यदि ऋणदाता द्वारा दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस राशि को 'अतिदेय' कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि ईएमआई की देय तिथि 31 मार्च 2022 है और उधारकर्ता ने ऋणदाता को भुगतान तब तक नहीं किया जब तक कि ऋणदाता 31 मार्च 2022 को अपनी दिन की समाप्ति प्रक्रिया को बंद नहीं कर देता 'तब ऐसी ईएमआई के तहत देय सभी राशि अतिदेय हो जाएगी।

दिन के अंत की प्रक्रिया

दिन के अंत की प्रक्रिया का अर्थ है ऋणदाता द्वारा एक उधारकर्ता के ऋण खातों में एक राशि की रसीद बुक करने / जमा करने के लिए की गई प्रक्रिया, जिसके बाद एक उधारकर्ता का खाता उस दिन के लिए बंद कर दिया जाता है।

विशेष उल्लेख खाता (एसएमए)

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के लिए ऋणदाताओं को उधारकर्ता के खाते में प्रारंभिक दबाव को तुरंत डिफ़ॉल्ट रूप से एसएमए के रूप में वर्गीकृत करके पहचानने की आवश्यकता होती है।

एसएमए उप-श्रेणियां	दिनों के लिए बकाया राशि
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	31-60 दिन
एसएमए -2	60-90 दिन

एसएमए वर्गीकरण दिन के अंत की प्रक्रिया चलने पर अतिदेय दिनों की संख्या के अनुसार किया जाएगा जैसा कि चित्रण में ऊपर बताया गया है।

उदाहरण के लिए, यदि ईएमआई की देय तिथि 31 मार्च 2022 है और उधारकर्ता ने ऋणदाता को भुगतान नहीं किया है, जब ऋणदाता की दिन के अंत की प्रक्रिया 31 मार्च 2022 को बंद हो जाती है, तो खाते को वर्गीकृत किया जाएगा। एसएमए-0 के रूप में। यदि खाता अतिदेय बना रहता है और 30 अप्रैल 2022 तक सभी देय राशि को नियमित नहीं किया जाता है, तो खाते को 30 अप्रैल 2022 यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर एसएमए -1 के रूप में टैग किया जाता है। यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो खाते को 30 मई 2022 तक SMA-2 के रूप में टैग किया जाता है, और यदि आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो खाते 29 जून 2022 को दिन के अंत में एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाते हैं।



गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)

एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्निम है जहां देय तिथि से 90 वें दिन दिन की समाप्ति प्रक्रिया बंद होने के बाद ब्याज और / या मूलधन की किस्त अतिदेय रहती है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी उन्नत किया जा सकता है जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया जाए।

उधार देने वाले संस्थान से एक से अधिक ऋण सुविधा वाले उधारकर्ताओं के मामले में, ऋण खातों को एनपीए से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा, केवल ब्याज की संपूर्ण बकाया राशि और सभी क्रेडिट सुविधाओं से संबंधित मूलधन के पुनर्भुगतान पर।

चित्रण

विवरण	तिथि (पूर्ण देय तिथि पर प्राप्त नहीं हुई)
नियत तारीख	31 मार्च 2022
दिन के अंत की प्रक्रिया	31 मार्च 2022
अतिदेय तारीख	31 मार्च 2022
SMA-0 (1 से 30 दिन)	31 मार्च 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक
एसएमए-1 (31 से 60 दिन)	30 अप्रैल 2022 से 29 मई 2022 तक
एसएमए-2 (61 से 90 दिन)	30 मई 2022 से 29 जून 2022 तक
एनपीए (> 90 दिन)	30 जून 2022

व्याख्या

- यदि देय तिथि 31 मार्च 2022 है, और दिन के अंत की प्रक्रिया शुरू होने से पहले किस्त पूरी तरह से प्राप्त नहीं होती है. तो अतिदेय की तारीख 31 मार्च 2022 होगी।
- 2. यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर SMA-0, SMA-1 और SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा, जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में बताया गया है।
- 3. यदि खाता 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय बना रहता है, तो इसे 90 वें दिन यानी 30 जून 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि ऊपर उदाहरण में बताया गया है।
- 4. ऋण खाता तब तक एनपीए स्थिति में रहेगा जब तक कि सभी बकाया किश्तों को अन्य शुल्कों/बकाया के साथ चुकाया नहीं जाता है और अन्य शुल्कों/बकाया के साथ ब्याज और मूलधन के पूर्ण बकाया का भुगतान करने पर, खाते की स्थिति एनपीए से मानक में बदल जाएगी।

संदर्भ

आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई परिपत्र (RBI/2021-2022/125 DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22) दिनांक 12 नवंबर 2021 - स्पष्टीकरण
